



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-08042023-245029
CG-DL-W-08042023-245029

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 6] नई दिल्ली, मार्च 26—अप्रैल 1, 2023, शनिवार/ चैत्र 5—चैत्र 11, 1945
No. 6] NEW DELHI, MARCH 26—APRIL 1, 2023, SATURDAY/ CHAITRA 5—CHAITRA 11, 1945

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2023

का.नि.आ. 62.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय का एकीकृत मुख्यालय (सेना), सैनिक आसूचना निदेशालय, जनरल स्टाफ ब्रांच, (परीक्षक-I और परीक्षक-II) भर्ती नियम, 2019, को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, सैनिक आसूचना निदेशालय, जनरल स्टाफ ब्रांच, एकीकृत मुख्यालय (सेना), परीक्षक-I और परीक्षक-II के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, एकीकृत मुख्यालय (सेना), सैनिक आसूचना निदेशालय, जनरल स्टाफ ब्रांच, परीक्षक-I और परीक्षक-II (समूह 'ख') भर्ती नियम, 2023 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.-** ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में यथा विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।
3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.-** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
5. **निरर्हता.-** वह व्यक्ति -
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;
- उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :
- परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
6. **शिथिल करने की शक्ति.-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
7. **व्यावृत्ति.-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1. परीक्षक-1	9* (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (रु. 44900-142400)

चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(5)	(6)	(7)
चयन पद।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेदन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेदन किया जाएगा ।

(11)

प्रोन्नति :

वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (रु. 35400-112400) में ऐसा परीक्षक-II जिसने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो और विभाग द्वारा यथा विहित, दो सप्ताह से चार सप्ताह का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो।

टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. संयुक्त सचिव एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, रक्षा मंत्रालय - अध्यक्ष; 2. निदेशक, संयुक्त सचिव एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का कार्यालय, रक्षा मंत्रालय - सदस्य; 3. ब्रिगेडियर, रक्षा मंत्रालय का एकीकृत मुख्यालय (सेना), जनरल स्टाफ ब्रांच, सैनिक आसूचना निदेशालय - सदस्य;	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

(1)	(2)	(3)	(4)
2 . परीक्षक -II	70* (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रु. 35400-112400)

(5)	(6)
लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह तारीख होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।

(7)
(क) आवश्यक अर्हताएं : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संबन्धित भाषा में बैचलर डिग्री जिसमें अँग्रेजी एक विषय के रूप में रहा हो। या (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अँग्रेजी भाषा में बैचलर डिग्री जिसमें संबन्धित भाषा एक विषय के रूप में रहा हो। (ख) वांछनीय: संबन्धित भाषा से अँग्रेजी में और विपर्ययन या दोनों में अनुवाद करने का दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: भर्ती के समय संबन्धित भाषा विनिर्दिष्ट किया जाएगा। टिप्पण 2: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 3: अनुभव संबंधी अर्हताएं उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। टिप्पण: सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों से परिवीक्षा को पूरा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा विहित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण को पूरा करना	सीधी भर्ती द्वारा। पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिये बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के ऐसे कर्मचारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी: (क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद

	अपेक्षित होगा।	धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (रु० 29200-92300) में नियमित आधार पर या समतुल्य पदों पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) जिनके पास स्तम्भ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
--	----------------	--

(11)
लागू नहीं होता।

(12)	(13)
विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, संयुक्त सचिव एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का कार्यालय, रक्षा मंत्रालय - अध्यक्ष; 2. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी या उप निदेशक, संयुक्त सचिव एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का कार्यालय, रक्षा मंत्रालय - सदस्य; 3. रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (सेना), जनरल स्टाफ ब्रांच, सैनिक आसूचना निदेशालय से उप निदेशक या समतुल्य प्रास्थिति का अधिकारी - सदस्य;	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए/33965/मुप्रअ/भर्ती-2]

जितेन्द्र कुमार, निदेशक

MINISTRY OF DEFENCE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st March, 2023

S.R.O. 62.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Army), Military Intelligence Directorate, General Staff Branch, (Examiner-I and Examiner-II) Recruitment Rules, 2019, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Examiner –I and Examiner-II in the Ministry of Defence, Military Intelligence Directorate, General Staff Branch, Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Army), namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Army), Military Intelligence Directorate, General Staff Branch, Examiner-I and Examiner-II (Group ‘B’ Posts) Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.- These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and level in pay matrix.- The number of the said posts, their classifications and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns(2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification.- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts.	Number of posts.	Classification.
(1)	(2)	(3)
1. Examiner-I.	09* (2023) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group, ‘B’, Gazetted, Non-Ministerial.

Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(4)	(5)	(6)
Level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400).	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(7)	(8)
Not applicable.	Not applicable.

Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(9)	(10)
Not applicable.	Promotion.

In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(11)
Promotion: Examiner-II in level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) with five years of regular service in the grade and having successfully completed two to four weeks training as prescribed by the Department. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their junior who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Joint Secretary and Chief Administrative Officer, Ministry of Defence - Chairman; 2. Director, Office of Joint Secretary and Chief Administrative Officer, Ministry of Defence - Member; 3. Brigadier, Military Intelligence Directorate, General Staff Branch, Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Army) - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)
2. Examiner-II.	70* (2023) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non- Gazetted, Non-Ministerial.

(4)	(5)	(6)
Level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400).	Not applicable.	Not exceeding thirty years of age. (Relaxable for the Government servants upto the age of five years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government).

		Note: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.
--	--	--

(7)		
(a) Essential qualification: (i) Bachelor's Degree in the concerned language with English as one of the subjects from a recognised University or institute; or (ii) Bachelor's Degree in English with the concerned language as one of the subjects from a recognised University or institute. (b) Desirable: Two years experience in translation from the concerned language to English or vice-versa or both. Note 1: The concerned language shall be specified at the time of recruitment. Note 2: The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified. Note 3: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission or competent authority, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.		

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years for direct recruitment. Note: Direct recruits would be required to successfully complete a mandatory induction training of at least two weeks duration, as prescribed by the competent authority, for completion of probation.	By direct recruitment. The vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government,- (a) (i) holding analogous posts on a regular basis; or (ii) with six years' regular service in level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300); and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). Note 1: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceed fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(11)
Not applicable.

(12)	(13)
Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

1. Deputy Chief Administrative Officer, Office of Joint Secretary and Chief Administrative Officer, Ministry of Defence	- Chairman;
2. Senior Administrative Officer or Deputy Director, Office of Joint Secretary and Chief Administrative Officer, Ministry of Defence	- Member;
3. Officer of the status of Deputy Director or equivalent from Military Intelligence Directorate, General Staff Branch, Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Army)	- Member.

[F. No. A/33965/CAO/R-II]

JITENDRA KUMAR, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2023

का.नि.आ. 63.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत हुए और रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (सेना), सूचना पद्धति महानिदेशालय, प्रबंधन सूचना पद्धति संगठन (एम आई एस ओ) समूह 'क' और समूह 'ख' पद (प्रधान पद्धति विश्लेषक, ज्येष्ठ पद्धति विश्लेषक और आंकड़ा प्रसंस्करण सहायक) तथा रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (सेना, नौसेना, वायुसेना) और अंतर सेवा संगठन आंकड़ा प्रसंस्करण सहायक श्रेणी 'क' पद भर्ती नियम, 2017 को, जहाँ तक प्रधान पद्धति विश्लेषक और ज्येष्ठ पद्धति विश्लेषक के पदों का संबंध है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिकमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सूचना पद्धति महानिदेशालय, प्रबंधन सूचना पद्धति संगठन, जनरल स्टाफ ब्रांच, रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (सेना) में प्रधान पद्धति विश्लेषक और ज्येष्ठ पद्धति विश्लेषक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (सेना), सूचना पद्धति महानिदेशालय, प्रबंधन सूचना पद्धति संगठन, प्रधान पद्धति विश्लेषक और ज्येष्ठ पद्धति विश्लेषक (श्रेणी 'क' पद) भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना—** ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद—संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएँ आदि**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएँ और उसमें संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता** — वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति** — जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृत्ति** —इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम (1)	पदों की संख्या (2)	वर्गीकरण (3)	वेतन मैट्रिक्स (4)
प्रधान पद्धति विश्लेषक	03* (2023) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसूचित	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 12 (78800-209200रु)

चयन या अचयन पद (5)	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा (6)	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं (7)
चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं (8)	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो (9)	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता (10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

(11)

प्रोन्नति :

ऐसे ज्येष्ठ पद्धति विश्लेषक जिन्होंने उन्नत कम्प्यूटिंग विकास केन्द्र या उपयोक्ता संगठन द्वारा किसी अन्य सरकारी संगठन से पद्धति विश्लेषण और डिजाइन के संबंध में ज्येष्ठ पद्धति विश्लेषक की श्रेणी में पात्र पदधारियों का तीन से चार सप्ताह का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के अधीन रहते हुए वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है। प्रशिक्षण, रक्षा मुख्यालय प्रशिक्षण संस्थान द्वारा उपयोगकर्ता संगठन के परामर्श से संचालित किया जाएगा।

टिप्पण : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए, अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक कर ली हो ।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी हैं):

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या विश्वविद्यालयों या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी,-

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए हैं : या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700 रु) के पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पाँच वर्ष सेवा की हो; और

(ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं, अर्थात् :-

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर उपयोजन में मास्टर डिग्री या मास्टर ऑफ साइंस (कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी); या

(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी (कंप्यूटर इंजीनियरी या कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरी अथवा सूचना प्रौद्योगिकी);

(iii) किसी सरकारी कार्यालय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय या कानूनी निकाय या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रोग्रैमिंग या सूचना पद्धति के सुसंगत क्षेत्र में आठ वर्ष का पश्च अर्हता अनुभव ।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-	किसी अधिकारी का प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।
1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष ।	
2. संयुक्त सचिव एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, रक्षा मंत्रालय - सदस्य ।	
3. ब्रिगेडियर, प्रबंध सूचना पद्धति संगठन, जनरल स्टाफ ब्रांच, रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (सेना) - सदस्य ।	

(1)	(2)	(3)	(4)
ज्येष्ठ पद्धति विश्लेषक	09* (2023) 'कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 11 (67700-208700 रु)

(5)	(6)	(7)
चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष ।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) ।

(11)
प्रोन्नति : ऐसे आंकड़ा प्रसंस्करण सहायक (तत्कालीन प्रोग्रामर) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44900-142400 रु) में नौ साल की नियमित सेवा के साथ नेटवर्किंग और एप्लिकेशन प्रबंधन, सुरक्षा और डेटा माइनिंग पर पाँच से सात सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद उन्नत कम्प्यूटिंग विकास केन्द्र या किसी अन्य सरकारी संगठन द्वारा, रक्षा मुख्यालय प्रशिक्षण संस्थान द्वारा, उपयोगकर्ता संगठन से परामर्श से व्यवस्थित किया गया । टिप्पण 1 : संशोधित नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44900-142400 रु) में डाटा प्रोसेसिंग सहायक के पद पर कार्यरत व्यक्तियों की पात्रता सेवा सात वर्ष की रहेगी । टिप्पण 2 : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए, अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक कर ली हो । प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या स्वशासी कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधीन ऐसे अधिकारी — (क) (1) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए हैं; या (2) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500 रु) में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पाँच वर्ष की सेवा की हो; या (3) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-9 (53100-167800 रु) या समतुल्य के पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में सात वर्ष की सेवा की हो; या (4) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (47600-151100 रु) या समतुल्य के पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में आठ वर्ष की सेवा की है; या (5) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44900-142400 रु) या समतुल्य के पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में नौ वर्ष की सेवा की है; या (ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं, अर्थात् :— (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर उपयोजन में मास्टर डिग्री या विज्ञान में मास्टर (कम्प्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी) या (2) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरिंग में स्नातक या प्रौद्योगिकी में स्नातक (कम्प्यूटर इंजीनियरिंग या कम्प्यूटर विज्ञान या कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी या कम्प्यूटर विज्ञान और इंजीनियरी या सूचना प्रौद्योगिकी)

(3) किसी सरकारी कार्यालय या स्वायत्त या कानूनी संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान में नेटवर्किंग और उपयोजन प्रबंधन, सुरक्षा और डाटा खनन से संबंधित क्षेत्रों में योग्यता के बाद पाँच वर्ष का अनुभव ।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय (विभागीय प्रोन्नति समिति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अध्यक्ष या सदस्य, - अध्यक्ष । संघ लोक सेवा आयोग 2. संयुक्त सचिव एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, - सदस्य । रक्षा मंत्रालय 3. ब्रिगेडियर, - सदस्य । प्रबंध सूचना पद्धति संगठन, जनरल स्टाफ ब्रांच, रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (सेना) समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. संयुक्त सचिव एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी - अध्यक्ष । रक्षा मंत्रालय 2. ब्रिगेडियर, - सदस्य । प्रबंध सूचना पद्धति संगठन, जनरल स्टाफ ब्रांच, रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (सेना) 3. निदेशक, - सदस्य । संयुक्त सचिव (मुख्य प्रशासनिक अधिकारी) का कार्यालय, रक्षा मंत्रालय	प्रत्येक अवसर पर पद को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा. सं. ए/16962/सी ए ओ/आर-2]

जितेन्द्र कुमार, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st March, 2023

S.R.O. 63.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Defence, Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Army), Directorate General of Information Systems, Management Information System Organisation (MISO) Group 'A' and 'B' posts (Principal System Analyst, Senior System Analyst and Data Processing Assistant) and Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Army, Navy, Air) and Inter Service Organisations Data Processing Assistant Grade 'A' post Recruitment Rules, 2017, in so far as they relate to the posts of Principal System Analyst and Senior System Analyst, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Principal System Analyst and Senior System Analyst in the Directorate General of Information Systems, Management Information System Organisation, General Staff Branch, Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Army), namely :-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Army), Directorate General of Information Systems, Management Information System Organisation, Principal System Analyst and Senior System Analyst (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and level in pay matrix. - The number of the said posts, their classifications and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification. - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving. -Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Principal System Analyst.	03* (2023) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-12 in the pay matrix (Rs.78800-209200).

Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(5)	(6)	(7)	(8)

Selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.
------------	-----------------	-----------------	-----------------

Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.		
(9)	(10)		
Not applicable.	Promotion failing which by deputation (including short term contract).		

In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation /absorption to be made.			
(11)			
Promotion : Senior System Analyst with five years regular service in the level-11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700) subject to successful completion of three to four weeks training of eligible incumbents in the grade of Senior System Analyst, on System Analysis and Design conducted by Centre for Development of Advanced Computing or any other Government organisation and arranged by Defence Headquarters Training Institute, in consultation with User organisation. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short term contract): Officers under the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or public sector undertakings or recognised research institutions or Universities or statutory or autonomous organisations,- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-11 in the pay matrix (Rs.67700-208700) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualification and experience,- (i) Masters degree in Computer Applications or Master of Science (Computer Science or Information Technology) from a recognised University or institute; or (ii) Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology (Computer Engineering or Computer Science or Computer Technology or Computer Science and Engineering or Information Technology) from a recognised University or institute; or (iii) eight years post qualification experience in the relevant areas of Programming or Information System in a Government office or public sector undertaking or autonomous body or statutory body or in any recognised institution. Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceed fifty-six years as on the last date of receipt of applications.			

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)

Group ‘A’ Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission -Chairman; 2. Joint Secretary and Chief Administrative Officer Ministry of Defence -Member; 3. Brigadier, Management Information System Organisation, General Staff Branch, Integrated Headquarters of Ministry of Defence(Army) -Member.	Consultation with the Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (including short term contract).
---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Senior System Analyst.	09* (2023) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group ‘A’, Gazetted, Non-Ministerial.	Level-11 in the pay matrix (Rs.67700-208700).	Selection.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Two years for promotees.	Promotion failing which by deputation (including short term contract).

(11)
Promotion: Data Processing Assistant (erstwhile Programmers) in level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) with nine years regular service in the grade and having successfully completed five to seven weeks training on Networking and Application Management, Security and Data Mining conducted by Centre for Development of Advanced Computing or any other Governments organisation, arranged by the Defence Headquarters Training Institute in consultation with user organisation. Note 1: The eligibility service shall continue to be seven years for persons holding the post of Data Processing Assistant in level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) on regular basis on the date of notification of the revised rules. Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short term contract): Officers under the Central Government or State Governments or Union territories Administrations or autonomous of statutory organisations or public sector undertakings or recognised universities or recognised research institutes,- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-10 in the pay matrix (Rs.56100-177500) or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with seven years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-9 in the pay matrix (Rs.53100-167800) or equivalent in the parent cadre or department; or (iv) with eight years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-8 in the pay matrix (Rs.47600-151100) or equivalent in the parent cadre or department; or (v) with nine years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in

level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) possessing the following educational qualification and experience,-

- (i) Masters degree in Computer Applications or Master of Science (Computer Science or Information Technology) from a recognised University or institute; or
- (ii) Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology (Computer Engineering or Computer Science or Computer Technology or Computer Science and Engineering or Information Technology) from a recognised University or institute;
- (iii) five years post qualification experience in the relevant areas of Networking and Application Management, Security and Data Mining in a Government office or autonomous or statutory organisation or public sector undertaking or recognised University or recognised research institution.

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: The period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not exceed fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman; 2. Joint Secretary and Chief Administrative Officer, Ministry of Defence - Member; 3. Brigadier, Management Information System Organisation, General Staff Branch, Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Army) - Member. Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Joint Secretary and Chief Administrative Officer Ministry of Defence - Chairman; 2. Brigadier, Management Information System Organisation, General Staff Branch, Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Army) - Member; 3. Director, Office of Joint Secretary and Chief Administrative Officer, Ministry of Defence - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for filling up of post on each occasion.

[F. No. A/16962/CAO/R-II]
JITENDRA KUMAR, Director